

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2020—ज्येष्ठ 8, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनोद कुमार उइके आत्मज श्री सुमेरी लाल उइके, उम्र 43 वर्ष, निवासी-मकान नं.-68, गली नंबर-3, वार्ड नं.-42, कसारीडीह, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा पूर्ण व वास्तविक नाम विनोद कुमार उइके आ. श्री सुमेरी लाल उइके है, जो कि मेरे जाति प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज में विनोद कुमार आ. सुमेरी लाल तथा मेरे आधार कार्ड में मेरे पिता का नाम शिववारन उइके दर्ज है, जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है, मैं मेरे पूर्ण नाम तथा मेरे पिता के वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे विनोद कुमार उइके आ. श्री सुमेरी लाल उइके के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

विनोद कुमार
पिता-श्री सुमेरी लाल,
श्री शिववारन उइके
निवासी-मकान नं.-68,
गली नंबर-3, वार्ड नं.-42,
कसारीडीह, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

विनोद कुमार उइके
पिता-श्री सुमेरी लाल उइके
निवासी-मकान नं.-68,
गली नंबर-3, वार्ड नं.-42,
कसारीडीह, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Alok Nath Pandey आत्मज Shri Baleshwar Pandey उम्र 51 वर्ष, निवासी-क्वा. नंबर-5/एफ., सड़क नंबर-63, सेक्टर-6 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम Alakh Nath Pandey था। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम Alok Nath Pandey रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे Alok Nath Pandey आत्मज Shri Baleshwar Pandey के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Alakh Nath Pandey
पिता-Shri Baleshwar Pandey
निवासी-क्वा. नंबर-5/एफ.,
सड़क नंबर-63,
सेक्टर-6 भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Alok Nath Pandey
पिता-Shri Baleshwar Pandey
निवासी-क्वा. नंबर-5/एफ.,
सड़क नंबर-63,
सेक्टर-6 भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Gedala Venkateshwar Rao आत्मज Shri Gedala Appa Rao, उम्र 53 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-5-बी, सड़क नं.-08, सेक्टर-05, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे कुछ शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम Gaidala Venkateswara Rao दर्ज है। जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम Gedala Venkateshwar Rao है जो कि मेरे पैनकार्ड, आधार कार्ड में दर्ज है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे Gedala Venkateshwar Rao आत्मज श्री Gedala Appa Rao के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Gaidala Venkateswara Rao
पिता-Shri Gedala Appa Rao
निवासी-क्वा. नं.-5-बी,
सड़क नं.-08, सेक्टर-05, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Gedala Venkateshwar Rao
पिता-Shri Gedala Appa Rao
निवासी-क्वा. नं.-5-बी,
सड़क नं.-08, सेक्टर-05, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरीश कुमार साहू आत्मज स्व. माखन लाल साहू, उम्र 41 वर्ष, जाति तेली, निवासी-मानस नगर, कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम कृष्ण देव हरीश कुमार था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम हरीश कुमार साहू आ. स्व. माखन लाल साहू रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे हरीश कुमार साहू आ. स्व. माखन लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

कृष्ण देव हरीश कुमार
पिता-स्व. माखन लाल साहू
निवासी-मानस नगर, कोरबा,
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.)

नया नाम

हरीश कुमार साहू
पिता-स्व. माखन लाल साहू
निवासी-मानस नगर, कोरबा,
तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अवदबिन अहमद लरदी आत्मज स्व. अहमद बिन सइद लरदी, उम्र 55 वर्ष, जाति मुसलमान निवासी-हाउस नं.-36, चन्द्रा नगर, अय्यपा नगर, दुर्गा मंदिर के सामने, सुपेला, भिलाई, थाना-सुपेला, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरी पुत्री के स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम अवदबिन अहमद लरदी (Awad Bin Ahmad Lardi) दर्ज है, जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम अवदबिन अहमद लरदी (Awad Bin Ahmed Lardi) है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को मेरी पुत्री के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे अवदबिन अहमद लरदी (Awad Bin Ahmed Lardi) आत्मज स्व. अहमद बिन सइद लरदी, के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अवदबिन अहमद लरदी
(Awad Bin Ahmad Lardi)
पिता-स्व. अहमद बिन सइद लरदी
निवासी-हाउस नं.-36,
चन्द्रा नगर, अय्यपा नगर,
दुर्गा मंदिर के सामने,
सुपेला, भिलाई,
थाना-सुपेला,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अवदबिन अहमद लरदी
(Awad Bin Ahmed Lardi)
पिता-स्व. अहमद बिन सइद लरदी
निवासी-हाउस नं.-36,
चन्द्रा नगर, अय्यपा नगर,
दुर्गा मंदिर के सामने,
सुपेला, भिलाई,
थाना-सुपेला,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजय कुमार प्रसाद आत्मज श्री जगन्नाथ प्रसाद, उम्र 47 वर्ष, निवासी-फ्लैट नं.-5003 ई, शांति रेसीडेंसी, आम्रपाली सोसायटी, पचपेढ़ी नाका, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरी पुत्री दिव्या कुमारी के पासपोर्ट में मेरा नाम अजय कुमार (Ajay Kumar) दर्ज है। जो कि अपूर्ण है। मेरा वास्तविक/पूर्ण नाम अजय कुमार प्रसाद (Ajay Kumar Prasad) है। जो कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपनी पुत्री के पासपोर्ट में मेरे नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे अजय कुमार प्रसाद (Ajay Kumar Prasad) आत्मज श्री जगन्नाथ प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अजय कुमार
(Ajay Kumar)
पिता-श्री जगन्नाथ प्रसाद
निवासी-फ्लैट नं.-5003 ई,
शांति रेसीडेंसी, आम्रपाली सोसायटी,
पचपेढ़ी नाका, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

अजय कुमार प्रसाद
(Ajay Kumar Prasad)
पिता-श्री जगन्नाथ प्रसाद
निवासी-फ्लैट नं.-5003 ई,
शांति रेसीडेंसी, आम्रपाली सोसायटी,
पचपेढ़ी नाका, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उत्तम कुमार ठाकुर आत्मज श्री रामचरण सिंह ठाकुर, उम्र 55 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-6/एफ, सड़क नं.-15, सेक्टर-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम उत्तम कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैंने अपने नाम के साथ उपनाम “ठाकुर” जोड़कर नया/पूर्ण नाम उत्तम कुमार ठाकुर रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे अन्य शासकीय अभिलेखों में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे उत्तम कुमार ठाकुर आत्मज श्री रामचरण सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

उत्तम कुमार
पिता-श्री रामचरण सिंह ठाकुर
निवासी-क्वा. नं.- 6/एफ,
सड़क नं.-15, सेक्टर-2, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

उत्तम कुमार ठाकुर
पिता-श्री रामचरण सिंह ठाकुर
निवासी-क्वा. नं.- 6/एफ,
सड़क नं.-15, सेक्टर-2, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरूण सिंह चौहान आत्मज स्व. भगवान सिंह चौहान, उम्र 58 वर्ष, जाति क्षत्रिय, निवासी-हाउस नम्बर-1/284, नन्दकिशोर विहार, 27 खोली, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा पूर्ण व सही नाम अरूण सिंह चौहान है, किन्तु मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अरूण सिंह दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम को मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे अरूण सिंह चौहान आ. स्व. भगवान सिंह चौहान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अरूण सिंह
पिता-स्व. भगवान सिंह चौहान
निवासी-हाउस नम्बर-1/284,
नन्दकिशोर विहार,
27 खोली, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

अरूण सिंह चौहान
पिता-स्व. भगवान सिंह चौहान
निवासी-हाउस नम्बर-1/284,
नन्दकिशोर विहार,
27 खोली, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दुर्गा प्रसाद तिवारी आत्मज स्व. रूपनाथ तिवारी, उम्र 55 वर्ष, निवासी-ब्लाक नं.-03, क्वा. नं.-07, हा. बो. औ. क्षेत्र भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दुर्गा प्रसाद दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “तिवारी” जोड़कर नया नाम दुर्गा प्रसाद तिवारी रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे दुर्गा प्रसाद तिवारी आ. स्व. रूपनाथ तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

दुर्गा प्रसाद
पिता-स्व. रूपनाथ तिवारी
निवासी-ब्लाक नं.-03, क्वा. नं.-07,
हा. बो. औ. क्षेत्र भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

दुर्गा प्रसाद तिवारी
पिता-स्व. रूपनाथ तिवारी
निवासी-ब्लाक नं.-03, क्वा. नं.-07,
हा. बो. औ. क्षेत्र भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

आदेश संख्या/सी.जी.सी.एस.पी.ई./2020/मार्च/शासकीय/प्रकाशन/01

दिनांक 5 मार्च 2020

काउंसिल कदाचार नियम 2020

विषयांकित पत्र में छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, लोरमी, जिला मुंगेली (छ. ग.), काउंसिल कदाचार नियम 2020 के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करती है, उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होगा.

01. काउंसिल से संबंध किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी प्रकार की विधि विरुद्ध कार्य के लिए काउंसिल जिम्मेदार नहीं होगा. सभी संबंध व्यक्ति और संस्था अपने अपने दायित्वों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा.
02. काउंसिल से संबंध किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा विधि विरुद्ध या काउंसिल के नियम शर्त के विरुद्ध कार्य करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जा सकेगा.
03. काउंसिल से संबंध किसी भी व्यक्ति या संस्था या अनाधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा काउंसिल के नाम का उपयोग करते हुए अनुचित कार्य करते हुए काउंसिल का नाम धुमिल करने या करने का प्रयास किये जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध मानहानि का दावा कर और क्षतिपूर्ति राशि वसूल करेगी, क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण काउंसिल आंकलन कर करेगी.
04. काउंसिल से संबंध किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा विधि विरुद्ध या काउंसिल के नियम शर्त के विरुद्ध कार्य करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही काउंसिल के अध्यक्ष/सचिव या काउंसिल से अधिकृत व्यक्ति द्वारा न्यायालयीन या पुलिस कार्यवाही या उचित कार्यवाही की जावेगी.
05. पुलिस एवं न्यायालयीन कार्यवाही रायपुर क्षेत्र के न्यायालय के अन्तर्गत या उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में की जावेगी. किसी विशेष परिस्थिति में अन्य स्थान में भी संस्थित किया जा सकेगा.
06. काउंसिल से अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा कोई भी काउंसिल संबंधी कार्य नहीं किया जावेगा.
07. अनाधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के नाम से कोई पत्राचार या कोई अन्य कार्य और काउंसिल के नाम का उपयोग किये जाने पर काउंसिल द्वारा उसके विरुद्ध पुलिस और न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी.

डी. पी. जोशी,
सचिव.